न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 41/2023

1. श्री देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री मोती
2. श्री कान सिंह
3. श्री ओमप्रकाश
4. श्री श्याम सिंह
   पुत्रगण स्व0 श्री बिरदा सिंह
5. श्रीमति रामेश्वरी देवी
6. श्रीमति लाली देवी
7. श्रीमति शारदा देवी
8. श्रीमति सुवा देवी
   पुत्रियां स्व0 श्री बिरदा सिंह
9. श्रीमति मोहिनी देवी
10. श्रीमति गीता देवी
11. श्रीमति लीला देवी
    पुत्रियां स्व0 श्री माला
    समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम केसरपुरा (मेवाड़िया), तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

1. श्रीमति चम्पा देवी पत्नि स्व0 श्री मंगला
2. श्री सोहन सिंह
3. श्री जयराम
   पुत्रगण स्व0 श्री मंगला
4. श्रीमति संता
5. श्रीमति कानी
   पुत्रियां स्व0 श्री मंगला
6. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि स्व0 श्री मोहन सिंह पुत्रवधु स्व0 श्री मंगला
7. श्री सेठू सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह पौत्र स्व0 श्री मंगला
8. श्रीमति शारदा पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह पौत्री स्व0 श्री मंगला
9. श्री सुखदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह पौत्र स्व0 श्री मंगला नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति प्रेम देवी
   समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम केसरपुरा (मेवाड़िया), तहसील पीसांगन, जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

अन्तर्गत नियम 75 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री एन0 एस0 राजावत, वकील अपीलान्ट्सकी ओर से।
2. श्री भीयाराम चौधरी,वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3 से 7 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक–11.06.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील पीसांगन जिला अजमेर के राजस्व ग्राम केसरपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1643/2211 रकबा 0.0100 है0 किस्म चाही 3, खसरा संख्या 1644/2212 रकबा 0.0900 है0 किस्म चाही 3, खसरा संख्या 1645 रकबा 0.9300 है0 किस्म चाही 3, खसरा संख्या 1646 रकबा 0.0100 है0 किस्म चाही 3 एवं खसरा संख्या 2098/2213 रकबा 0.9000 है0 किस्म चाही 3 का नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 28.07.2022 से रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के पति/पिता के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार पीसांगन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 28.07.2022 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 से 7 जरिये वकील उपस्थित हुई। रेस्पो0 संख्या 2, 8 व 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वकील रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1, 3 से 7 द्वारा मियाद के बिन्दु पर ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम केसरपुरा (मेवाड़िया) तहसील पीसांगन स्थित भूमि वर्किंग खसरा संख्या 1830 मिन रकबा 15–00–00 बीघा व खसरा संख्या 1830 रकबा 01–05–00 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 16–05–00 बीघा जिनके भू–संशोधन की कार्यवाही पश्चात वर्तमान खसरा संख्या 1639, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646, 1651, 1658, 1659 व 1645/2146 कायम किये गये जिसमें से 07–00–00 बीघा भूमि मूल खातेदार श्री मंगला पुत्र श्री भूरा जाति रावत द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.05.1977 क्रय कर स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त किया गया। उक्त क्रयशुदा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

आराजी के वर्तमान खसरा संख्या 1643/2211, 1644/2212, 1645, 1646 एवं 2098/2213 कुल किता 05 कुल रकबा 1.1300 हैक्टर कायम किये गये। उपरोक्त आराजियात के स्वामित्व व आधिपत्य बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर के समक्ष वाद संख्या 19/2004 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 06.02.2007 को डिक्री करते हुए विभाजन का आदेश पारित किया गया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 19.05.2009 द्वारा खातेदारी स्वीकृत कर दी गई एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 के खाता संख्या नया 48 पुराना 281 में अपीलान्ट्स के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है। इसी दौरान केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध चुनौती दी जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 439/2010 प्रस्तुत की गई। इनके अतिरिक्त अन्य किसी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा चुनौती नहीं दी गई। उक्त अपील में दिनांक 23.08.2011 को निर्णय पारित किया जाकर अपील आंशिक स्वीकार कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई। उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2011 के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष अपील संख्या 6370/2011 प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 19.01.2022 से निरस्त किया जाकर निर्णय दिनांक 23.08.2011 को यथावत रखा गया जिससे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अर्थात उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद संख्या 31/2022 के रूप में दिनांक 28.02.2022 को पुनः दर्ज किया गया एवं पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये, जिससे पत्रावली तलबी हेतु विचाराधीन होकर आगामी तारीख पेशी 18.07.2023 नियत रही। मूल वाद संख्या 19/2004 के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 03.05.2006 को अपीलान्ट्स की क्रयशुदा 07 बीघा भूमि की सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की गई, जो कि आज दिवस तक प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में आज दिवस तक विचाराधीन राजस्व वाद जो अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है, निर्णित वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में स्वयं पक्षकार होकर विधिवत जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय व विधि विरूद्ध रूप से न्यायालय आदेशों की अवमानना व अवहेलना करते हुए आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलान्ट्स विवादित आराजी के विधिवत क्रेता/खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिन्हे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर समरी कार्यवाही के तहत खातेदारी अधिकारों को समाप्त करते हुए विधिक प्रावधानों व प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट की क्रयशुदा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 19.05.2009 को रेस्पोण्डेन्ट्स द्वारा कभी भी किसी प्रकार से सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं करवाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट्स के हक में विधिवत रूप से स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण एवं दर्ज खातेदारी को निरस्त किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में प्रथम दृष्टया विधि एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित की गई है। उन्होने कथन किया कि सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 06.02.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2011 व 19.01.2022 के तहत केवल मात्र श्रीमति संता व श्रीमति कानी के सम्बन्ध में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया गया जो दिनांक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

28.02.2022 को दर्ज हुआ एवं सुनवाई हेतु विचाराधीन होकर दिनांक 18.07.2023 की पेशी नियत रही। उक्त निर्णय दिनांक 23.08.2011 व 19.01.2022 के तहत ना तो अपीलान्ट्स के पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किया गया एवं ना ही खातेदारी को निरस्त किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण तथ्यों की विधिवत जानकारी होने के उपरान्त भी रेस्पोन्डेन्ट्स को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के आशय से विधि व क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अपीलीय न्यायालयों के निर्णय दिनांक 23.08.2011 व 19.01.2022 के पश्चात नामान्तकरण संख्या 181 दिनांक 19.05.2009 को निरस्त कर राजस्व रेकॉर्ड में पूर्व की स्थिति को कायम किये जाने हेतु विधिक प्रावधानों व विधिक प्रक्रिया के तहत धारा 144 सी0पी0सी0 का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा कोई आदेश ही पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व ही श्री सेठू पुत्र श्री माला एवं श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मंगला जाति रावत का स्वर्गवास हो चुका था, जिनके विधिक वारिसान स्वयं तहसीलदार पीसांगन द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण पर कार्यवाही सम्पादित किये जाने के दौरान प्रस्तुत न्यायालय निर्णयों की प्रतियों से पूर्णतया सिद्ध है। इसके उपरान्त भी मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रारम्भ किया गया जो प्रारम्भतः अवैध व शून्य होकर निरस्तनीय है।अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 से 7 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। उनका कथन है कि ग्राम केसरपुरा स्थित आराजी खसरा संख्या 1830 मिन रकबा 15–00–00 बीघा श्री मंगला पुत्र श्री भूरा के गैर खातेदारी में दर्ज थी एवं तत्कालीन विक्रय पत्र के समय रेस्पोन्डेन्ट के पिता मंगला पुत्र भूरा विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं था, ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र भी नहीं हो सकता है। खसरासंख्या 1830 मिन का नामान्तरकरण संख्या 424 दिनांक 22.05.1987 से गैर खातेदारी से खातेदारी मंगला पुत्र भूरा के नाम दर्ज हुआ एवं खसरा संख्या 1830 रकबा 01–05–00 बीघा का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 18.03.1992 को दर्ज हुआ। उक्त आराजियात गैर खातेदारी दर्ज होने की स्थिति में अपीलान्ट के पक्ष में बताया गया विक्रय पत्र फर्जी एवं कूटरचित है, क्योंकि उसके बाद रेस्पोन्डेन्ट के पिता मंगला पुत्र भूरा द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीसांगन से उक्त आराजी बाबत ऋण प्राप्त कर आराजी नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 14.09.1998 से रहन की गई। उस समय भी अपीलान्ट्स द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं मंगला पुत्र भूरा के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 04.11.2004 मृतक के बजाय चम्पा पत्नि मंगला, मोहन, सोहन, जयराम पिसरान मंगला, कानी, सन्ता पुत्रियां मंगला कौम रावत के नाम दर्ज हुआ। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2011 में कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

गया। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2021 पार्ट–2 पेज 1412 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि "Defendant can take part in the proceedings from the stage of his appearance"की ओर आकर्षित किया। साथ ही माननीय मण्डल द्वारा अपील टी0ए0 संख्या 6894/2017 जिला झुंझुंनु पतासी बनाम महावीर प्रसाद निर्णय दिनांक 27.12.2021 में भी प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि सभी पक्षकारों को सुनकर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान ए0आई0आर0 1969 एस0सी0 पेज 1167 एवं डब्ल्यू0एल0सी0 राजस्थान 2018(1) पेज 610 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों की ओर आकर्षित किया। उन्होने कथन किया कि सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर की डिक्री दिनांक 06.02.2007 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 23.08.2011 से रिमाण्ड की गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 6370/2011 देवी वगै0 बनाम सन्ता वगै0 में दिनांक 19.01.2022 को निर्णय पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर का निर्णय दिनांक 23.08.2011 बहाल रखा गया। अपीलान्ट्स ने उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 राजस्थानउच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस0बी0 रिट पिटीशन संख्या 11827/2022 देवी व अन्य बनाम श्रीमति सन्ता वगै0 प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 10.01.2023 के द्वारा खारिज करते हुए मान0 राजस्व मण्डल का निर्णय बहाल रखा गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दायरी से पूर्व की स्थिति का आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में भरा गया आक्षेपित नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट्स विचाराधीन अपील में अनुतोष पाने के हकदार नहीं है।

वकील रेस्पोन्डेन्ट्स ने आगे कथन किया कि सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा वाद के विचाराधीन रहते तहसीलदार पीसांगन से उक्त आराजी बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का मेवाड़िया द्वारा दिनांक 12.07.2024 को एक रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन को प्रस्तुत की गई जिसमें बताया गया कि उक्त आराजी पूर्व में किस्म बीड़ थी व मंगला पुत्र भूरा को आराजी में गैर खातेदार दर्ज किया गया, जिसके पुराने खसरा संख्या 1240 में खसरा संख्या 1830 रकबा 01–05–00 बीघा किस्म बीड़ राजस्व अभियान आदेश दिनांक 13.07.1984 के अनुसार मंगला पुत्र भूरा को नियमन की गईतथा नामान्तरकरण संख्या 424 दिनांक 22.05.1987 व नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 18.06.1992 को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई। इसके उपरान्त उक्त सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण दिनांक 14.09.1998 से राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीसांगन के नाम से दर्ज किया गया, जो अभी भी रहन दर्ज है। उक्त खातेदार की मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 04.11.2004 को उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ। जिसकी जमाबन्दियां पटवार हल्का मेवाड़िया व तहसीलदार पीसांगन द्वारा दिनांक 12.07.2004 को सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद भी उक्त न्यायालय द्वारा गैर खातेदारी के आधार पर बेचान व बेचान के आधार पर खातेदारी प्रदान करने के आदेश पारित कर दिये, जो कि विधि विरूद्ध है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2016 पार्ट–2 पेज 1229 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की ओर आकर्षित किया, जिसके अनुसार – "Gair khatedar of

न्यायालय अपर जिला कलक्टर

अपर कलक्टर,
अजमेर

the land cannot transfer the land."उनका कथन है कि अपीलान्ट्स ने तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.05.1977 से आराजी क्रय करना बताया है जबकि वरवक्त पंजीकृत बेचान आराजी मंगला पुत्र भूरा के नाम रेकॉर्ड में गैर खातेदारी होना पाया जाता है व खातेदारी दर्ज नहीं थी। पटवारी हल्का मेवाड़िया की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2004 में मंगला पुत्र भूरा के नाम नामान्तरकरण दिनांक 22.05.1987 व 18.03.1992 से गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का अंकन है। गैर खातेदारी भूमि का बेचान आवंटन नियमों के विरूद्ध है क्योंकि इस प्रकार के बेचान से आवंटी पुनः भूमिहीन हो जाता है एवं उसे ऊंचा उठाने का प्रयास व नीति असफल हो जाती है। चूंकि गैर खातेदारी भूमि का बेचान आवंटन नियमों के विरूद्ध है एवं इस आधार पर अपीलान्ट्स/वादी का खातेदारी घोषणा का दावा विधि अनुरूप व उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिये सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर द्वारा वाद सिद्ध नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाना था, क्योंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हुआ था व राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने दोनों पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2017 पार्ट–1 पेज 446 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 772 दिनांक 28.07.2022 यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर द्वारा अपनी डिक्री दिनांक 06.02.2007 से विवादित आराजी खसरा संख्या 1830 कुल रकबा 16–05–00 बीघा में से अपीलान्ट्स द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.05.1977 से क्रयशुदा आराजी रकबा 07–00–00 बीघा का अपीलान्ट्स के पक्ष में विभाजन आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमति संता व श्रीमति कानी पुत्रियां स्व0 श्री मंगला द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 439/2010 पेश की गई, जिसे न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2011 से अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को पुनः सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में अपील संख्या 6370/2011 प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 19.01.2022 से अपील निरस्त कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय को यथावत रखने के आदेश दिये गये, जिसकी अनुपालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 19.01.2022 के विरूद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस0बी0 रिट पिटीशन संख्या 11827/2022 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिनांक 10.01.2023 को निर्णय पारित कर मान0 राजस्व मण्डल के निर्णय को बहाल रखा गया।

इस प्रकार जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मान0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के निर्णय की अनुपालना में ही आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस तथ्य का अंकन पटवारी हल्का मेवाड़िया व भू–अभिलेख निरीक्षक पीसांगन द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पर अंकित रिपोर्ट में भी किया गया है। साथ ही मान0 राजस्व

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय के विरूद्ध मान0 राज0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका भी निरस्त की जाकर मान0 मण्डल का निर्णय दिनांक 19.01.2022 भी यथावत रखा गया है। अपीलान्ट्स को इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर